

B.A. History  
Part: I / Paper: I

By: DR. ANAND KUMAR SINGH, ASSISTANT  
PROF., Dept. of HISTORY, JAWAHAR LAL NEHRU  
COLLEGE, DEHRA-DUN, SONBET

TOPIC: उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था

भारतीय इतिहास में उस काल की जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ऋग्वेद ग्रन्थों, आरण्यों एवं उपनिषदों की रचना हुई, को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस युग की सभ्यता का केन्द्र पंजाब से बड़ोदर प्रदेश में था गया था। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में 600 ई पू के आस-पास आर्य लोग कोसल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे। इस संस्कृति का मुख्य केन्द्र मध्य देश था।

ऋग्वेदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब इस प्रदेश पर शासन करने लगा। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्म चिन्तन से जुड़े थे। जिनमें; पुरुरव थे - विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहण जाबालि।

राज्य शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। आरम्भ में पांचाल एक कबीले का नाम था परन्तु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। ऊपर वैदिक काल में पांचाल सर्वोच्च विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वोच्च प्रतिनिधि कहा गया है।

ऊपर वैदिक काल में राजतन्त्र की शासन का आधार था पर कहीं-कहीं पर गणराज्यों के उदाहरण भी मिलते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोम का देवता बनाया गया है। सभा एवं समिति इस समय भी राजा की निरंकुशल पर रोक लगानी थी। राज्य के उच्च पदाधिकारियों को 'रत्नी' कहा जाता था। ये राज परिषद के सदस्य थे। रत्नियों की सूची में राजा के सम्बन्धी, मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारीगण आते हैं। विभागाध्यक्षों में सेनापति (सेनापति), सूत (रथ सेना का नायक), ग्रामणी (गांव का मुखिया), संग्रहीता (कोषाध्यक्ष) तथा भागधुज (अर्थमंत्री) आदि कर्तव्यों को वसूलये कला आदि के नाम मिलते हैं। सूतपति तथा शतपति नामक दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। सूतपति सीमान्त प्रदेश का प्रशासक अथवा - याथाधिकारी तथा शतपति 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी था।

सभा सेप्टे जनों की संख्या थी  
नया समिति राज्य की केन्द्रीय संख्या थी जिसे जन-  
सामान्य की संख्या भी कहते थे। समिति की अध्यक्षता  
राजा स्वयं करते था। समिति की अध्यक्षता करते  
वर्षों को ईशान भी कहा जाता था। सभा को  
अथर्ववेद में नारिष्ठा कहा गया है। इस काल में  
विद्वय या इल्लेख नहीं मिलता है।

उत्तर वैदिक काल में राजा कोई  
भी स्थायी सेना नहीं रखता था। अथर्ववेद के अनुसार  
राजा को आय का 16 वां भाग मिलता था। ऋग्वेदिक  
काल में बलि एक स्वैच्छाकारी कर था जबकि  
उत्तरवैदिक काल में यह एक नियमित कर हो गया।

